Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं उसके दलाल को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 नवम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज शनिवार को धौलपुर में कार्यवाही करते हुये हरिप्रसाद सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, थाना रामगढ़, जिला अलवर को उसके दलाल फकरूद्दीन (प्राईवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दर्ज प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा मदद करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी हरिप्रसाद सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, थाना रामगढ़, जिला अलवर द्वारा उसके दलाल फकरूद्दीन (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 80 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की अलवर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजयसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचन्द** एवं उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल फकरूद्दीन पुत्र श्री सगरू खान मेव निवासी ग्राम खालसानगर, पुलिस थाना रामगढ़, जिला अलवर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **30 हजार रुपये रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में हरिप्रसाद सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, थाना रामगढ़, जिला अलवर को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।